

राजस्थान सरकार  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक: प.1(1)चिस्वा / ग्रुप-2 / 2020

जयपुर, दिनांक : 07.05.2021

आदेश

विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 02.05.2021 के द्वारा बी.एल.ओ. एएनएम व आशा सहयोगिनी की एक टीम गठित की जाकर घर-घर सर्वे किये जाने तथा एएनएम के माध्यम से आवश्यक दवाईयों की किट वितरित किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये थे। उक्त आदेशों की निरन्तरता में आमजन को प्रोनिंग के प्रति जागरूक करने हेतु निम्न दिशा-निर्देश जारी किये जाते हैं:-

- (1) बी.एल.ओ. के क्षेत्रानुसार सघन रूप से घर-घर सर्वे व आवश्यक दवाईयाँ दिये जाने के साथ बी.एल.ओ. एएनएम व आशा सहयोगिनी की गठित टीम को प्रोनिंग की सघन ट्रेनिंग दिया जाना सुनिश्चित करें। साथ ही टीम को प्रोनिंग से संबंधित Leaflet/pamphlet पर्याप्त संख्या में उपलब्ध करावें।
- (2) घर-घर सर्वे के दौरान आमजन को प्रोनिंग के संबंध में पूर्ण जानकारी देते हुए Leaflet/ pamphlet वितरित किये जावे।
- (3) चिकित्सा विभाग के दल द्वारा घर-घर सर्वे तथा आवश्यक दवाईयों की किट वितरित किये जाने तथा प्रोनिंग की व्यापक प्रचार-प्रसार (आई.ई.सी.) किया जावें। इस हेतु पूर्व में बजट आवंटित किया जा चुका है।

(सिद्धार्थ महाजन)  
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री महोदय।
2. विशिष्ट सहायक, मा. चिकित्सा मंत्री महोदय।
3. विशिष्ट सहायक, मा. चिकित्सा राज्य मंत्री महोदय।
4. वरिष्ठ उप सचिव, मा. मुख्य सचिव महोदय।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
7. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
8. समस्त संभागीय आयुक्त, राज.
9. समस्त जिला कलक्टर, राज.
10. समस्त प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, राज.
11. समस्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये राज. जयपुर
12. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन राज.
13. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय, राज.
14. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राज.
15. निजी /रक्षित पत्रावली

(संजय कुमार)  
शासन उप सचिव